न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद पत्र संख्या : 387/2015

GCMS No. : 2015/00262

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण ::–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा0 लि0 302 अभिशिल्प कॉम्पलेक्स नियर केशवबाग पार्टी प्लोट सेटेलाई अहमदाबाद जरिये चिमनभाई पुत्र पोपटभाई रफालिया हाल निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली(राज.) 2. चुनाराम, चन्द्राराम, दिनेश, पि0 मदनलाल, उगमादेवी पत्नी मदनलाल 3. रामनारायण पुत्र हजारी, रामसुख पुत्र हेमा माली सा0 निम्बोल।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 22.07.2015

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।

2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

दिनॉक :– 16/05/2022

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा– निम्बोल में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 462 रकबा 16–13 बीघा, में से 11–18 बीघा किस्म– बारानी दोयम, लगान 5.19 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतू विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 11–18 बीघा किस्म बारानी दोयम पर कृषि से अकृषि कार्य मौके औधोगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा– निम्बोल तहसील– जैतारण, जिसका खसरा नम्बर 462 रकबा 16–13 बीघा, में से 11–18 बीघा, किस्म– बारानी दोयम, आई हुई है, जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में है। प्र... अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) ... सूचना दिनांक 15.06.2015 प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि समयावधि में है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो कि शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया है कि नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) जिसमें मैसर्स सिद्धि विनायक सिमेन्ट प्रा. लि. का समागम मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो जाने से एवं तत्पश्चात मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्बोल सिमेन्ट प्लांट का डीमर्जर निरमा लिमिटेड से मर्जर नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में हो जाने से उनकी और से जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री परिक्षित खिड़ीया की और से कि प्रार्थी मैसर्स सिद्धि विनायक कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी थी। तत्पश्चात इस कम्पनी के बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स के निवेदन पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय दिनाक 20.04.2015 के तहत इस कम्पनी का समागन में मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो गया है। इस प्रकार से मैसर्स निरमा लिमिटेड कम्पनी कम्पनीज अधिनियम 1956के तहत एक पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी है। जिसका मुख्यालय निरमा हाउस आश्रम रोड़ अहमदाबाद 380009 गुजरात है मैसर्स निरमा लिमिटेड का एक सीमेन्ट प्लांट ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में संचालित व उत्पादनरत रहा था। तत्पश्चात माननीय नेशनल कम्पनी ल० ट्रिब्युनल अहमदाबाद ब्रांच अहमदाबाद से पारित आदेश दिनांक 25.11.2019 प्रकरण संख्या 113/2019 के जरिये व माननीय नेशनल कम्पनी ट्रिब्युनल मुम्बई ब्रांच मुम्बई से पारित आदेश दिनांक 09.01.2020 प्रकरण संख्या 3652/2019 के अनुसार उक्त निम्बोल सीमेन्ट प्लांट का डीमर्जर मैसर्स निरमा लिमिटेड से होकर उसका मर्जर नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में कर दिया गया है। उपरोक्त मर्जर आदेश दिनांक 01.02.2020 से प्रभावी है। इस प्रकार से उक्त सीमेन्ट प्लांट ग्राम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में संचालित व उत्पादनरत है, तथा इस सीमेन्ट प्लांट से सम्बन्धित विधिक कार्यवाहीया करने हेतु नियमानुसार बोर्ड ऑफ डारेक्टर्स की मिटिंग में प्रस्ताव लेकर इस कम्पनी की ओर से अधिकृत मेनेजिंग डारेक्टर ने इस सीमेन्ट प्लांट के विधिक कार्यवाहीया करने के लिये श्री परिक्षित खिड़ीया को अधिकृत करते हुये उन्हें अपना आम मुख्त्यारनामा धारक नियुक्त कर दिया है एवं उक्त व्यक्ति इस कम्पनी की विधिक कार्यवाहीयो के बाबत जानकारी रखते है एवं भारतीय नागरिक है। उक्त आम मुख्त्यारनामा की प्रति इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार से अदालत श्रीमान के समक्ष विचाराधीन इस प्रार्थना पत्र का पदवार जवाब निम्नानुसार है प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी स्वयं साबि[illegible] प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य होने से [illegible] वास्तविकता में सरहद मौजा निम्बोल में स्थित खसरा नम्बर 462 [illegible] 13 बिस्वा नही होकर उक्त रकबा 10 बीघा 15 बीस्वा का है। जिसमें से 0[illegible] बीघा 19 बिस्वा भूमि जवाब देहन्दा कम्पनी की है तथा शेष भूमि रकबा 01–16 बीस्वा हसमुख भाई की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

जिसके संबंध में निवेदन है कि इस कार्यवाही में वर्णित भूमि का रूपान्तरण वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेंट उद्योग हेतू करवाने बाबत् अन्दर अवधि जवाब देहन्दा कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र पेश किया जाकर आवश्यक भू-रूपान्तरण शुल्क एवं तत्पश्चात तहसीलदार जैतारण द्वारा चाहा गया अन्य आवश्यक रूपान्तरण शुल्क जिसमें शामिल राशि भी जमा करवायी जा चुकी है। जिससे संबंध दस्तावेज की प्रतिया इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार से राज्य सरकार के निर्देशानुसार सक्षम अधिकारीगण के समक्ष नियमानुसार व विधिक प्रावधानो अनुसार कृषि भूमियो को अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण अधिनियम 2007 के प्रावधानो अनुसार भूमिया वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की कार्यवाही की हुई है। उक्त भू-रूपान्तरण नही हो जाता तब तक भूमि मौके पर खाली पड़ी है। एवं उसको अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नही लिया जा रहा है। भू-रूपान्तरण की कार्यवाही जवाब देहन्दा कम्पनी द्वारा की गई इस बाबत् नियमानुसार भू-रूपान्तरण शुल्क भी जमा करवाया जा चूका है। तथा इन समस्त तथ्यो की तहसीलदार जैतारण को भलीभांति जानकारी है। उसके बावजूद भी जवाब देहन्दा कम्पनी के विरूद्ध यह निराधार कार्यवाही पेश की गई है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 व 4 में वर्णित तथ्यो का जवाब है कि उक्त भूमि खरीद करने के बाद से ही मौके पर अभी तक अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नही ली गई है। तथा मौके पर खाली पड़ी है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन असत्य होने से अस्वीकार है। वास्तविकता हमें उक्त भूमि खरीद करने के बाद से ही मौके पर अभी तक अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नही ली गई है। तथा मौके पर खाली पड़ी है। जिसके बाबत् भू रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन है। इस प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा जो प्रकरण सुने व विचारण किये जाने योग्य है उसमें यह मामला नही आता है। तथा भूमि का भू-रूपान्तरण की कार्यवाही विचाराधीन होने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण में कोई सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन एवं इस पद में लिखे गए खसरा नम्बर एवं बताया गया रकबा से संबंधित तथ्य भी कतई गलत होने से अस्वीकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(24) के तहत भूमि से अभिप्राय उस भूमि से होगा जो कृषि कार्य, उपवन, चारागाह, व उन पर निर्मित मकान, बाड़े, सिंचाई के प्रयोजनार्थ भूमियो से होगा। जबकि इस प्रकरण में वर्णित भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की राशिया जमा हो जाने से इस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नही होता है। इसलिए अदालत श्रीमान के इस प्रकरण में कोई क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त [illegible] कि विबद्धके सिद्धान्तानुसार इस प्रकरण में वर्णित भूमियो के [illegible] की कार्यवाही भू-रूपान्तरण की कार्यवाही स्वयं राज्य सरकार एवं [illegible] प्रतिनिधि तहसीलदार जैतारण द्वारा ही की गई है। एवं अपने द्वारा की गई कार्यवा[illegible] से भी सायल स्वयं पाबन्द है उसके विपरीत किसी भी प्रकार का कोई उज्जर नही लेने हेतू भी तहसीलदार स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पाबन्द है। इसलिए तहसीलदार जैतारण को इस प्रकरण में कोई बिनाय वाद जवाब देहन्दा कम्पनी के विरूद्ध प्राप्त नही होता है। इसलिए भी यह कार्यवाही काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। कि सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार किसी भी प्रकरण में पक्षकारान् द्वारा पेश की गई कार्यवाही के समर्थन में पक्षकार का शपथ पत्र एवं उस शपथ पत्र का सत्यापन भी किया जाना आवश्यक है इस प्रकरण में प्रार्थी पक्ष की और से न तो शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है एवं न ही उसका सत्यापन ही किया गया इसलिए भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। उपखण्ड जैतारण में उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार के पद पर एक ही व्यक्ति के पदस्थापित रहने से एवं पश्चातवर्ती प्रक्रम में में नामान्तरणकरण की कार्यवाही करने से एवं भू-रूपान्तरण बाबत् आवश्यक जांच व शुल्क भी तहसीलदार जैतारण द्वारा ही जमा किया गया होने से प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2015 का उल्लेख कर देने से ही समय की छुट पाने का अधिकारी नही है। इस बाबत डिले कण्डोन बाबत् कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही हुआ है। इसलिए भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार एवं अधिवक्ता की सुनी गई।

तहसीलदार जैतारण, भू. अ. निरीक्षक वृत. निम्बोल एवं हल्का पटवारी निम्बोल द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस् दिनांक 06.02.2020 व 04.09.2020 पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनते हुये, उस पर मनन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बोल के खसरा नम्बर 462 रकबा 16-13 बीघा जिसकी किस्म बारानी दोयम है, अर्थात् कृषि भूमि है। जिसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थी उक्त आराजी मे से 11-18 बीघा कृषि भूमि पर अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहे है। जिस से कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई है। उक्त कृत्य की जानकारी दिनांक 15.06.2015 को प्राप्त हुई, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) जिसमें मैसर्स सिद्धि विनायक सिमेन्ट प्रा. लि. का समागम मैसर्स निरमा लिमिटेड में हो जाने से एवं तत्पश्चात मैसर्स निरमा लिमिटेड निम्बोल सिमेन्ट प्लांट का डीमर्जर निरमा [illegible] से मर्जर नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड में हो गया, जो [illegible] ता में सरहद मौजा निम्बोल में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या [illegible]2 का कुल रकबा 16-13 बीघा नहीं होकर उक्त रकबा 10-15 बीघा है। जिसमें [illegible] 08-19 बीघा भूमि जवाब देहन्दा कम्पनी की है। उक्त भूमि का रूपान्तरण वास्ते औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेंट

उपखण्ड अधिकारी एवं
प्रदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

...योग हेतु करवाने बाबत अन्दर अवधि जवाब देहन्दा कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र पेश ...र आवश्यक भू-रूपान्तरण शुल्क एवं तत्पश्चात तहसीलदार जैतारण द्वारा चाहा गया ...न्य आवश्यक रूपान्तरण शुल्क जिसमें शास्ति राशि भी है, जमा कार्यवाही जा पूर्ण ...। उक्त भू-रूपान्तरण नहीं हो जाता तब तक वादग्रस्त आराजी मौके पर खाली पड़ी ... तथा उसको अकृषि प्रयोजनार्थ काम में नहीं लिया जा रहा है। इस प्रकार ये ...राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा जो ...प्रकरण सुने व विचारण किए जाने योग्य है उसमें यह मामला नहीं आता है। ...भू रूपान्तरण कार्यवाही विचाराधीन होने से राजस्व न्यायालय को इस प्रकरण के ...सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के अन्तर्गत वादग्रस्त भूमि नहीं आती है। उक्त भूमि पर ...राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है।

3. प्रकरण में न्यायालय के आदेश से वादग्रस्त आराजी की अद्यतन मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस तहसीलदार जैतारण से प्राप्त किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.02.2020 के साथ संलग्न पटवारी निम्बोल की मौका रिपोर्ट एवं फोटोग्राफस, दिनांक 06.02.2020 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 462 रकबा 10-15 बीघा किस्म बारानी दोयम में से लगभग 04-00 बीघा रकबा मौके पर खाली है, 02-00 बीघा रकबा में वृक्षारोपण है तथा अवशेष लगभग 04-15 बीघा रकबा औद्योगिक एवं इसकी सहायक गतिविधियो में प्रयुक्त हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि सीमेंट प्लांट की चार दीवारी के भीतर स्थित है। मौके पर भूमि कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त नही हो रही है। मौका रिपोर्ट के साथ दिनांक 06.02.2020 को पटवारी निम्बोल द्वारा लिया गया मौके के फोटोग्राफस जो पटवारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित है, से भी यह स्पष्ट है कि भूमि मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ काम मे नही ...ली जा रही है, मौके पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ सीमेंट प्लांट तक परिवहन हेतु सड़क एवं अन्य औद्योगिक संरचनाए निर्मित है।

4. प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार जैतारण की स्वयं की उपस्थिति में नवीनतम मौका रिपोर्ट मय फोटोग्राफस् प्राप्त किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 14.09.2020 के साथ संलग्न तहसीलदार जैतारण , भू अ, निरीक्षक एवं पटवारी निम्बोल की संयुक्त मौका रिपोर्ट मय मौके के फोटोग्राफस दिनांक 04.09.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 462 रकबा 10-15 बीघा किस्म बारानी दोयम मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद व अन्य की खातेदारी भूमि है। प्रस्तुत ...री नक्शे अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 462 रकबा 10-15 बीघा किस्म बारानी दोयम में से लगभग 04-00 बीघा रकबा ... खाली है, 02-00 बीघा रकबा में वृक्षारोपण है तथा अवशेष ... 06-15 बीघा भूमि कृषि ... रकबा औद्योगिक एवं इसकी सहायक गतिविधियो में प्रयुक्त हो ... प्रस्तुत नही किया गया है ...योग्य नहीं है। प्रतिवादी खातेदार द्वारा ऐसा कोई स... प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी का कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रयोग किया जा रहा है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी के खसरा गिरदावरी भी प्रस्तुत नहीं की है।

अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित व न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं फोटोग्राफस दिनांक 06.02.2020 एवं 04.09.2020 का न तो खण्डन किया गया तथा न ही इसके विरोध में कोई कथन/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अनुसार आराजी की किस्म बारानी दोयम है जो कि काबिल काश्त कृषि भूमि की श्रेणी में आती है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 05(24) में विहित भूमि की श्रेणी में आती है। जिसके सम्बन्ध में वाद/प्रार्थनापत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार उक्त अधिनियम की धारा 207 एवं तृतीय अनुसूची के अन्तर्गत केवल न्यायालय हाजा को ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 एवं अनुसूची तृतीय की प्रविष्टि संख्या 67 के अनुसार हानिकारक कार्य या शर्त भंग के लिये धारा 177 के अन्तर्गत विचारण करने के लिये केवल न्यायालय सहायक कलक्टर ही सक्षम है। अतः अप्रार्थी का यह कथन की वादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(24) के अन्तर्गत भूमि की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन कर शुल्क व शास्ति जमा करवाई थी। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादग्रस्त आराजी पर लागू नहीं होता तथा न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी को अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश से सम्बन्धित कोई प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह विश्वास किया जावे कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है। केवल संपरिवर्तन प्रयोजनार्थ आवेदन कर देने तथा शुल्क व शास्ति आदि जमा करवा देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि ऐसी भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित हो चुकी है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान में भी कृषि भूमि है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहां प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में वादग्रस्त आराजी का मौके पर गैरकृषि उपयोग नही किए जाने का अंकन किया है तथा वादग्रस्त आराजी को कृषि भुमि के रूप में ही उपयोग में लिया जाना कथन किया है, वही जवाबदावे में ही यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी के संपरिवर्तन हेतू आवेदन किया गया था अतः उक्त भूमि अब कृषि भूमि नही रही हैं। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उक्त भूमि पर लागू नही होता है। प्रतिवादी के उक्त कथन परस्पर विरोधाभासी है। अतः अप्रार्थीगण के आपत्तियां स्वीकार योग्य नहीं है।

अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण समय [illegible] सीमा से बाधित होना अंकित किया है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार से एवं [illegible] सीमा तक प्रकरण समय सीमा से बाधित है। प्रार्थी वादी तहसीलदार [illegible] में मुतनाजा आराजी पर दिनांक 15.06.2015 कृषि भिन्न [illegible] जाने की सूचना प्राप्त होने का कथन किया है तथा प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 22.07.2015 को दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

न्तर्गत कार्यवाही के लिये अधिनियम की अनुसूची तृतीय की प्रविष्टि संख्या 67 में
मय सीमा तीन वर्ष निर्धारित है। अतः हस्तगत प्रकरण समय सीमा से बाधित नहीं
केर परिसीमा के भीतर है।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में निम्नानुसार विधिक
ावधान है :-

177. **अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली** – (1) भू-धारक के आवेदन पर
अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए
अहितकर हो या जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे के पर दी गई हो, उससे असंगत हो,

या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे धारण करनें वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त
भंग की है जिसके भंग करने पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधो के
प्रतिकूल नहीं है, के अनुसार बेदखली का दायी होः
परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा
के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा।

9. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं वादग्रस्त आराजी से संबंधित मौका रिपोर्ट दिनांक
06.02.2020 एवं 04.09.2020 एवं मौके के फोटोग्राफ के अवलोकन मात्र से
स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम निम्बोल के खसरा संख्या 462 रकबा 10-15
बीघा किस्म बारानी दोयम जो कि कृषि भूमि है के तत्कालीन खातेदार एवं प्रतिवादी
संख्या 1 सिध्दि विनायक सीमेन्ट प्रा० लि० तत्पश्चात इसके स्थान पर दर्ज वर्तमान
खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में
नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है जिसका वादग्रस्त आराजी
में 5/6 हिस्सा है, शेष 1/6 हिस्सा अन्य सहखातेदार का है। उक्त भूमि में से
04-00 बीघा भूमि मौके पर खाली है, 02-00 बीघा भूमि में वृक्षारोपण है तथा
शेष 04-15 बीघा भूमि पर औद्योगिक एवं सहायक गतिविधियां संचालित की जाकर
गैरकृषि उपयोग किया जा रहा है, जो वर्तमान में भी जारी है, जिसके लिए उक्त
खातेदार द्वारा किसी भी सक्षम अधिकारी से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन अनुज्ञा प्राप्त
नही की है, तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उक्त खातेदार का
उपर्युक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत
कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में आने के साथ साथ काश्तकार और
सरकार के मध्य की संविदा का भी भंग है। अतः उक्त खातेदार के 5/6 हिस्स में से
मौका रिपोर्ट अनुसार 04-15 बीघा भूमि में से अभिधृति अधिकार विलोपित करते हुए
भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर मौके से बेदखल किया जाकर तत्काल कब्जा
राज लिया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित हो[illegible] खसरा संख्या 462 कि
शेष भूमि मौके पर खाली एवं वृक्षारोपित[illegible] राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य
की श्रेणी में नही आता है बल्कि यह कृषि भूमि के लिए अनुमत गतिविधि में शामिल
है। अतः शेष भाग को यथावत रखा जाना विधिसंगत होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निम्बोल, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 462, रकबा 10-15 बीघा, किस्म- बारानी दोयम में से तत्कालीन खातेदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसके स्थान पर दर्ज वर्तमान खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है, के 5/6 हिस्से में से 04-15 बीघा भूमि जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित है, से प्रतिवादी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान दर्ज खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है, के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 इस निर्णय का भाग होगी। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 16/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

राज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
ईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थीगण :-

1.तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. सिद्धि विनायक सीमेन्ट प्रा0 लि0
302 अभिशिल्प कॉम्पलेक्स नियर
केशवबाग पार्टी प्लोट सेटेलाई
अहमदाबाद जरिये चिमनभाई पुत्र
पोपटभाई रफालिया हाल निम्बोल
तहसील जैतारण जिला पाली(राज.)
2. चुनाराम, चन्द्राराम, दिनेश, पि0
मदनलाल, उगमादेवी पत्नी मदनलाल
3. रामनारायण पुत्र हजारी, रामसुख पुत्र
हेमा माली सा0 निम्बोल।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 मु0न0 :- 387/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-....... व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होर्ने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निम्बोल, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 462, रकबा 10-15 बीघा, किस्म- बारानी दोयम में से तत्कालीन खातेदार मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसके स्थान पर दर्ज वर्तमान खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है, के 5/6 हिस्से में से 04-15 बीघा भूमि जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित है, से प्रतिवादी मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान दर्ज खातेदार मैसर्स निरमा लिमिटेड निरमा हाउस आश्रम रोड अहमदाबाद जो वर्तमान में नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.सी.पी.) निम्बोल है, के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपार्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 तथा 04.09.2020 इस निर्णय का भाग होगी। इसी मुताबिक ... डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार जैतारण ... जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

मीजान ....-....मुबलिक....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक ....-.....को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बसिब्त मेरें दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/05/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	01-00
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	-Nil-	मिजानः-	01-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:55:28 IST
Reason: SelfAttested